न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 226/2012

प्रार्थी

1. श्री दुर्गाराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री जोगाराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत नई धनारी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री आईदानराम पुत्र श्री गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–
1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हिम्मतसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से ।
3. अप्रार्थी संख्या दो स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 15.04.2021

जिला कलेक्टर (राज.) सिरोही

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, नई धनारी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 984 दिनांक 30.06.2011 वर्गफीट 1800 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत ... दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी ... की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह द्वारा जरिए वकालतनामा ... अप्रार्थी संख्या दो द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश किया गया जो शामिल ... किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:19:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमो के विपरित राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा संख्या 984 दिनांक 30.06.2011 वर्गफीट 1800 जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल दायर संख्या 114/2011 दिनांक 05.01.2011 को दर्ज की गई है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या 114/2011 दिनांक 05.01.2011 दर्ज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री गणेशाराम के जीवन काल में 60×30 (1800 वर्गफुट) भूखण्ड का बंटवारा प्रार्थी के तीनो भाई श्री आईदानाराम, श्री दुर्गाराम एवं श्री जोगाराम के हम में प्रत्येक के हक में 600 वर्गफीट किया गया था, लेकिन अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत से मेलजोल कर सम्पूर्ण भूमि का पट्टा अपने नाम से जारी करवा लिया। वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगण के खाली भूखण्ड मौजूद है तथा प्रार्थीगण ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रार्थीगणों के स्वामित्व के भूखण्डों को अपना निर्मित मकान होना मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अविधिक कार्यवाई कर 1800 वर्गफीट का पट्टा पंचायत द्वारा जारी कर दिया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित पट्टा संख्या 984 दिनांक 30.06.2011 वर्गफीट 1800 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टा नियमों के अनुरूप राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत ही जारी किया गया है। पट्टा जारी करते समय पंचायत द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो स्वयं द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या दो के स्वामित्व का मकान व भूखण्ड है। अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर 600 वर्गफुट में पक्का मकान व 600 वर्गफुट में नींव भरी हुई है एवं शेष 600 वर्गफुट पर कांटों की बाड लगी हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या दो के पिता स्व. श्री गणेशाराम के गांव में 60×30 वर्गफीट के दो भूखण्ड थे जो प्रार्थीगण व उनके पिता स्व. श्री गणेशाराम ने मिलकर बेचान कर दिए थे। विवादित भूमि 60×30 वर्गफीट पर अप्रार्थी संख्या दो का परिवार निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा समस्त कार्यवाई कर ही पट्टा संख्या 984 दिनांक 30.06.2011 को जारी किया गया प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की [illegible] किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता तथा अप्रार्थी संख्या दो की ओर से की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जिला कलक्टर, सि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:19:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, नई धनारी द्वारा पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह कथन है कि प्रार्थी के पिता स्व. श्री गणेशाराम के जीवन काल में 60×30 (1800 वर्गफुट) भूखण्ड का बंटवारा प्रार्थी के तीनो भाई श्री आईदानाराम, श्री दुर्गाराम एवं श्री जोगाराम के हम में प्रत्येक के हक में 600 वर्गफीट किया गया था, लेकिन अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत से मेलजोल कर सम्पूर्ण भूमि का पट्टा अपने नाम से जारी करवा लिया। वर्तमान में मौके पर प्रार्थीगण के खाली भूखण्ड मौजूद है तथा प्रार्थीगण ही उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। ग्राम पंचायत द्वारा गलत रूप से मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्रार्थीगणों के स्वामित्व के भूखण्डों को अपना निर्मित मकान होना मानते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अविधिक कार्यवाई कर 1800 वर्गफीट का पट्टा पंचायत द्वारा जारी कर दिया है। अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर वर्षो पुराना कब्जा है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या दो के स्वामित्व का मकान व भूखण्ड है। अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर 600 वर्गफुट में पक्का मकान व 600 वर्गफुट में नींव भरी हुई है एवं शेष 600 वर्गफुट पर कांटों की बाड लगी हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या दो के पिता स्व. श्री गणेशाराम के गांव में 60×30 वर्गफीट के दो भूखण्ड थे जो प्रार्थीगण व उनके पिता स्व. श्री गणेशाराम ने मिलकर बेचान कर दिए थे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या दो ने अपने पट्टे के आवेदन में स्वयं ने स्वीकार किया है कि मकान 15 वर्ष पुराना है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 31.12.1996 से प्रभावी है तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के अनुसार–

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख)– 31.12.1996 से ठीक पूर्ववर्ती 50 वर्ष के दौरान = 200 रूपए संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

इस प्रकार विवादित पट्टा की प्रक्रिया उक्त नियम में परिभाषित नहीं होती है। ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा पट्टा जारी करने से प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता की सम्पत्ति के निपटारे के मामले में सभी उत्तराधिकारीयों से सहमति पत्र या लिखित बंटवारा पत्र प्राप्त करना चाहिए था। पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का कब्जे स्वामित्व का मकान व भूखण्ड है। ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा पट्टा सम्पूर्ण भूखण्ड 1800 वर्गफुट में मकान निर्मित मानकर जारी किया है जबकि अप्रार्थी संख्या दो ने अपने जवाब में केवल 600 वर्गफुट भूमि मकान निर्मित होना स्वयं ने स्वीकार किया है। राजस्थान पंचायत नियम 157 (ख) के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति को उसके कब्जे की आबादी भूमि जिसमें निर्मित भवन सम्मिलित हो, अधिकतम 300 वर्गगज तक निर्मित भवन के क्षेत्रफल तथा इस निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक की उसके उपयोग में आने वाली कब्जेशुदा भूमि को सम्मिलित करते हुए जो भी कम हो, का पट्टा जारी किया जा सकेगा। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत इसकी अवहेलना की गई है। इन सभी अनियमिततओं को देखते हुए यह न्यायालय ग्राम पंचायत नई धनारी द्वारा जारी पट्टे को न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] नई धनारी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 984 दि[illegible] 30.[illegible]011 वर्गफीट 1800 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:19:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner